भारत डायनामिक्स लिमिटेड

कंचनबाग : हैदराबाद

परिपत्र

संदर्भ : बीडीएल/04/83/पीएसएमबी-I **दिनांक : 01.09.2016**

का.परि15/2016 दि. 01.09.2016

विषय : 01 जनवरी, 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों (कार्यपालक एवं कार्यपालकेतर) के लिए अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (पी एस एम बी - I) का आरंभ.

प्रबंधन द्वारा 01 जनवरी, 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों (कार्यपालक एवं कार्यपालकेतर) के लिए अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (पी एस एम बी - I) का लागू किया जाता है. इस योजना की विशेषताएँ अनुलग्नक - I में सूचित की जाती हैं. 04 सितंबर 2016 से यह योजना लागू होगी.

2. इस योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ हर साल परिवर्तनीय होंगे जो कंपनी को मिलने वाले लाभ, सामर्थ्य एवं सातत्यता के आधार पर सी एम डी के अनुमोदन से कॉर्पस फंड में देय अंशदान पर आधारित होता है. इस योजना के तहत सदस्य एवं उनके पति/पत्नी के लिए चलायमान आधार पर अस्तपताल में प्रवेश लेकर चिकित्सा के लिए रु. 3,00,000 एवं आउट पेशेंट चिकित्सा के लिए रु. 15,000 दिए जाएंगे.
3. योजना के लिए उद्दिष्ट निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित न्यास द्वारा किया जाएगा.
4. 01 जनवरी 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं इस योजना का लाभ उठाने इच्छुक व अहर्य कर्मचारी परिशिष्ट - ए में संलग्न फार्मेट में सदस्यता के लिए अपना नाम पंजीकृत करें. स्वयं /पति/पत्नी के लिए रु. 100/- तथा स्वयं एवं पति/पत्नी दोनों के लिए रु. 200/- का एक बार पंजीकरण शुल्क चालान द्वारा आंध्र बैंक, बीडीएल कैंपस, कंचनबाग, हैदराबाद में जमा करना होगा.
5. योजना लागू होने के उपरांत 01 जनवरी 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों के लिए कार्मिक परिपत्र सं. बीडीएल/04/नि/24/97 दि. 12 जून 1997 के तहत अधिसूचित सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा बीमा योजना (रेमी) लागू नहीं होगी.

एम नीलकंटप्पा

(एम नीलकंटप्पा)

महाप्रबंधक (क.सं एवं विश्रॉड)

मानक वितरणार्थ

अनुलग्नक -I

"01 जनवरी, 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों (कार्यपालक एवं कार्यपालकेतर) के लिए अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (पी एस एम बी - I)"

1. शीर्षक :

1.1 इस योजना को **01** जनवरी, 2007 पूर्व सेवानिवृत कर्मचारियों (कार्यपालक एवं कार्यपालकेतर) के लिए "बीडीएल कर्मचारी अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (पी एस एम बी - I)" कहा जाएगा.

2. योजना का विस्तार एवं व्याप्ति :

2.1 इस योजना के तहत 01 जनवरी, 2007 से पूर्व सेवानिवृत, वैकल्पिक सेवानिवृत्त का विकल्प लिया हो या दीर्घ अस्वस्थता के कारण कंपनी की सेवाओं से मुक्त कर्मचारी एवं उनके पति / पत्नी को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा.

2.2 **निम्नलिखित संदर्भों में भी योजना के तहत व्याप्ति मिलेगी**

2.2.1 01 जनवरी, 2007 से पूर्व सेवाकाल के दौरान ही मृत्यु प्राप्त तथा सेवानिवृत्त होने के पश्चात मृत्यु प्राप्त कर्मचारियों के विधवा / विधुर.

2.2.2 यदि इस योजना के सदस्य (कार्यपालक एवं कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारी) की मृत्यु हो जाती है / हमेशा के लिए निःशक्त व अशक्त हो जाते हो और इस वजह से 15 साल का न्यूनतम सेवाकाल पूरा करने से पहले ही अधिवर्षिता से पूर्व ही उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है तो ऐसे सदस्यों को भी इस योजना के तहत लाभ दिए जाएंगे.

2.2.3 स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना / वी एस एस लेने वाले कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में बनाई गई निर्दिष्ट योजना को सरकारी वी आर एस / वी एस एस योजना के शर्तों के अधीन रख कर देखा जाएगा. इस योजना के तहत जनित लाभ वी आर एस / वी एस एस विकल्प लेने वाले कर्मचारियों के लिए स्वतः लागू नहीं होंगे.

2.3 **यह योजना निम्नलिखित संदर्भों में लागू नहीं होगी**

2.3.1 कर्मचारी जिन्होंने 01 जनवरी, 2007 से पूर्व इस्तीफा दी / परार या सेवासमाप्त / बरख़ास्त कर्मचारी.

2.3.2 कर्मचारी जो अपने पति / पत्नी / संतान इत्यादि के नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा लाभ योजना के तहत शामिल हैं.

3. प्रस्तावित नीति के तहत संपूर्ण बीमा व्याप्ति :

3.1 सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके पति / पत्नी को संयुक्त रूप से उपर्युक्त अनुच्छेद 2.1 एवं 2.2 में सूचित अनुसार प्रथम वर्ष के लिए अस्थाई / परिवर्तनीय आधार पर 'इन-पेशेंट' चिकित्सा के लिए रु. 3 लाख एवं 'आउट-पेशेंट' चिकित्सा के लिए रु. 15,000 प्रति वर्ष की बीमा नीति कराई जाएगी. इस प्रयोजन के लिए परिवार का अर्थ है सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनके पति / पत्नी या उत्तरजीवी.

3.2 बीमा व्याप्ति भारत के ही भीतर देय होगी.

3.3 व्याप्ति में कोई प्रवेश एवं निकासी आयु सीमा नहीं होगी.

3.4 पूर्ववर्ती बीमारी को इस योजना में शामिल कर दिया जाएगा.

3.5 सभी हितभागियों के लिए नकद रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी. तथापि, यह सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में चिकित्सा के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी / तीसरी पार्टी के प्रशासक द्वारा योजना के विस्तार के तहत की जाएगी.

राम. नीलकंठप्पा

3.6 **नीति के तहत चिकित्सा व्यापि:**

नीति के तहत किसी भी प्रकार की बीमारी या चोट के लिए इन-पेशेंट चिकित्सा दी जाएगी.

3.7 **आउट पेशेंट चिकित्सा व्याप्ति:**

3.7.1 सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके पति / पत्नी के लिए परिवर्तनीय आधार पर रु. 15,000/- प्रति वर्ष का ओ पी चिकित्सा व्यय हितभागियों द्वारा लिया जा सकता है. नकद रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में चिकित्सा के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी / तीसरी पार्टी के प्रशासक द्वारा योजना के विस्तार के तहत की जाएगी.

4. **योजना का पंजीकरण एवं कार्यान्वयन:**

4.1 योजना के तहत सुविधा प्राप्त करने के लिए 01 जनवरी, 2007 से पूर्व कर्मचारी एवं उनके पति / पत्नी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर अपना नामांकन करवाना होगा तथा इसके समर्थन में निर्धारित दस्तावेज / पहचान साक्ष्य की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी. साथ ही, प्रत्येक व्यक्ति के लिए रु. 100/- (सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके पति /पत्नी के लिए रु. 200 /-) का एक बारगी पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा. आवेदन पत्र सेवाकाल के अंत में उनके कार्यरत विभाग / कार्यालय में फार्म प्रस्तुत करना होगा. प्रभागीय का. एवं प्रशा. द्वारा आवेदकों की पहचान की जाँच कर, योजना के तहत इनके नामांकन के लिए आवेदन अग्रेषित किए जाएंगे.

4.2 योजना के कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी पद्धति अपनाते हुए उचित मूल्यांकन के बाद बीमी कंपनी का चयन किया जाएगा. आरंभिक वर्ष के लिए 03.04.2017 तक मेसर्स न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बीमाकर्ता रहेगी.

4.3 बीमा कंपनी या बीमा कंपनी द्वारा संस्तुत तीसरी पार्टी के प्रशासक (टी पी ए) द्वारा योजना चलाई जाएगी. बीमाकर्ता / टी पी ए द्वारा सभी सदस्यों को ई-कार्ड दिए जाएंगे. टी पी ए कर्मचारी, बीमा कंपनी एवं अस्पतालों के बीच समन्वयकर्ता होगा.

4.4 **नेटवर्क अस्पताल :**

4.4.1 बीमा कंपनी के कुछ नेटवर्क अस्पताल होंगे जहाँ चिकित्सा कराई जा सकती है.

4.4.2 नेटवर्क अस्पतालों में नकद रहित सुविधा उपलब्ध रहेगी.

5. **योजना के लिए निधि:**

डी पी ई का.ज्ञा. सं. 2(81)-डीपीई(डब्ल्यू सी)-जी एल- XVI/2009 दि. 08 जुलाई 2009 एवं सं. 2(81)-डीपीई(डब्ल्यू सी)-जी एल- XVI/2009 दि. जुलाई 2011 के अनुसार कराधान पूर्व लाभ का 1.5% कॉर्पस योजना के लिए निधि के रूप में दिया जाएगा.

6. योजना के तहत लाभ:

6.1 योजना के तहत लाभ उत्तरव्यापी प्रभाव अर्थात योजना लागू होने की तिथि से लागू होंगे.

6.2 वर्ष दर वर्ष योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ में अंतर हो सकता है क्योंकि निधि के लिए अंशदान का भुगतान कंपनी की सामर्थ्य एवं सातत्यता भर निर्भर है.

6.3 योजना के तहत संपूर्ण बीमा व्याप्ति प्रति वर्ष निधि की उपलब्धता, हितभागियों की संख्या के आधार पर सी एम डी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा.

7. निधि एवं न्यास का प्रबंधन:

7.1 अन्य बातों के साथ-साथ 01 जनवरी, 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों (कार्यपालक एवं कार्यपालेतर वर्ग) के लिए पी एस एम बी -। योजना चलाए जाने के लिए बीडीएल कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास (बेस्ट) नामक न्यास का गठन किया गया है. निधि प्रबंधक द्वारा न्यास की निधि का प्रबंधन किया जाएगा. अधिवर्षिता

राव. नीलकंठप्पा

पश्चात चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी -I) निधि के प्रबंधन के लिए एल आई सी को नामित किया गया है. भविष्य में आवश्यक समझे जाने पर निधि प्रबंधक को बदला जा सकता है.

7.2 इस योजना के लिए निर्धारित निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित न्यास द्वारा किया जाएगा जो निम्न प्रकार है:

7.2.1 योजना का नाम "बीडीएल अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी - I) योजना" होगा. जिसका प्रबंधक आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत अप्रतिसंहरणीय न्यास के रूप में गठित "बीडीएल कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास" द्वारा किया जाएगा.

7.2.2 न्यास, योजना के कार्यान्वयन एवं निधि के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा; कंपनी से अंशदान प्राप्त करना तथा बीमा व्याप्ति के लिए प्रीमियम के रूप में बीमी कंपनी को भुगतान करना; निधि प्रबंधक के साथ यदि कोई अतिरिक्त निधि है तो समय-समय पर कंपनी द्वारा अधिसूचित नियमावली के साथ-साथ योजना के प्रावधानानुसार उसका निवेश इत्यादि.

7.2.3 एल आई सी, अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार / आई आर डी ए द्वारा जारी विनियमों के अनुसार निधि का निवेश करेगा.

7.2.4 न्यास द्वारा प्राप्त पूरा धन न्यासी के संरक्षण में होंगा तथा न्यासी को अंशदान, ब्याज, निवेश या निधि की पुनःप्राप्ति से प्राप्त धन का आयकर अधिनियम / नियमावली के प्रावधानानुसार प्रयोग करने का अधिकार होगा.

7.2.5. न्यासियों का नामांकन एवं न्यास विलेख का कार्यान्वयन :

7.2.5.1 प्रबंधन द्वारा न्यासियों का नामांकन किया जाएगा. कर्मचारी यूनियन एवं कार्यपालक संघ के प्रतिनिधि न्यास में रहेंगे. न्यास विलेख प्रबंधन द्वारा तय किया जाएगा. न्यासी, न्यास की स्थापना, उसे चलाने तथा प्रबंधन के लिए आवश्यक कार्य करने के साथ-साथ निम्न कार्य भी करेंगे :

i) प्रबंधन द्वारा अनुमोदित न्यास प्रलेख का कार्यान्वयन.

ii) न्यास की स्थापना एवं इसके पंजीकरण के लिए आवश्यक कार्य करना.

iii) न्यास के नाम से बैंक खाता खोलना.

iv) निधि प्रबंधकों की नियुक्ति एवं उनके साथ आवश्यक संविदा करना.

v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत योजना को अनुमोदित करने का अधिकार रखने वाले आयकर अधिकारी को आवश्यक आवेदन देना.

7.2.6 **न्यासी-कार्यालय शर्तें** :

7.2.6.1 कंपनी द्वारा न्यासियों का नामांकन / नियुक्ति निर्दिष्ट अवधि के लिए की जाएगी.

7.2.7 बैंक खाते के परिचालन संबंधी न्यासियों के अधिकार :

7.2.7.1 कोई भी दो न्यासी, जिनमें से एक न्यास के अध्यक्ष / सचिव हों, संयुक्त रूप से, न्यासियों की ओर से निधि संबंधी बैंक खाते का परिचालन करते हुए निधि के किसी भी धन को आवश्यकतानुसार प्राप्त या निपटान कर सकते हैं.

7.2.8 **न्यास की बैठक** :

7.2.8.1 हर तिमाही में एक बार एवं साल में न्यूनतम चार बार न्यास की बैठकें होंगी.

7.2.9 **बैठक के कार्यवृत्त**

7.2.9.1 बैठकों के कार्यवृत्त अध्यक्ष / सचिव द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित कर रखे जाएंगे.

राम. नीलकंठप्पा

7.2.10 **नियमों का संशोधन** :

7.2.10.1आयकर आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना बीडीएल अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी-I) निधि की नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा.

7.2.11. **न्यास प्रलेख का कायम रहना :**

7.2.11.1योजना में किसी भी बात के रहते हुए या इसमें किए गए कोई परिवर्तन या संशोधन न्यास प्रलेख के उद्देश्य या प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने पर न्यास प्रलेख के प्रावधान कायम रहेंगे. न्यासियों द्वारा ऐसी कोई विसंगति पाई जाने पर न्यासी, आयकर आयुक्त के पूर्व अनुमति से यथाशीघ्र योजना में संशोधन करेंगे ताकि यह योजना न्यास प्रलेख के प्रावधानानुसार रहे.

7.2.12 **क्षेत्राधिकार :**

7.12.1 यह योजना भारत के कानून के तहत होगी जिसमें यथा संशोधित भारतीय बीमा अधिनियम, 1938, आयकर अधिनियम, 1961 तथा इसके बाद जारी किसी भी तरह का लागू कानून शामिल होगा. योजना के तहत सभी लाभ भारत में ही देय होंगे. इस नियमावली में या किसी संशोधन का कोई भी अंश आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम 1962 या इसमें किए गए संशोधनों के किसी प्रावधान या प्रावधानों के विरुद्ध हो तो उस हद तक वह अंश प्रभावी नहीं होगा. न्यासी, आयकर आयुक्त के निर्देशानुसार ऐसे विरुद्ध अंश हटा देंगे.

7.2.12.2किसी प्रकार का विवाद हैदराबाद न्यायालय, तेलंगाना राज्य, भारत के क्षेत्राधिकार में होगा.

7.2.13 व्याख्या :

7.2.13.1योजना की सदस्यता की यह शर्त होगी कि योजना के प्रावधान की व्याख्या से संबद्ध किसी भी बिंदू या सदस्यता की समाप्ति से संबद्ध किसी भी बिंदू को लेकर उठे सवाल के संदर्भ में न्यास का निर्णय ही अंतिम और बाध्य होगा. यदि लिए गए निर्णय, आयकर अधिनियम, 1961 या किए गए संशोधन से संबंधित हो तो इसकी सूचना आयकर आयुक्त को देंगे और यदि आयकर आयुक्त का निदेश हो तो न्यासी अपने निर्णय का पुनरीक्षण करेंगे.

8. सामान्य :

8.2 यह योजना लागू होते ही 01 जनवरी, 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा बीमा योजना के तहत दिए जाने वाले सभी लाभ रोक दिए जाएंगे.

******

राम. नीलकंठप्पा